न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–317/16 (आरसीएमएस नं.(2015/00092)

01. लादूराम पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी बघालों की ढाणी, तन पलसाना, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. रामदेव पुत्र महादेव,
02. छोटूराम पुत्र महादेव,
03. झाबरमल पुत्र गणेश,
04. चावली बेवा गणेश,
05. सोहनी पत्नी अर्जुन,
06. राकेश पुत्र अुर्जन नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता सोहनी पत्नी अर्जुन,
07. सुरेन्द्र पुत्र अर्जुन,
08. प्रेम पुत्री अर्जुन, समस्त जातियान जाट, निवासीयान बधालों की ढाणी तन पलसाना, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
09. पटवारी हल्का पलसाना,
10. उप तहसीलदार पलसाना,
11. तहसीलदार दांतारामगढ,

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर, सीकर के आदेश दिनांक 15.01.2014 (प्रकरण संख्या 08/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 भूमि खसरा नम्बर 2994/4933, 2997/4937, 2998 लगायत 3002, 3008/4929/1 कुल किता 8 कुल कुल रकबा 4.40 हैक्टयर वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के रिकार्डेड खातेदार है जिन्होने दिनांक 10.01.2014 को पारस्परिक सहमति के आधार पर एक बंटवारानामा निष्पादित किया, जिस पर दिनांक 10.01.2014 को उप तहसीलदार पलसाना से तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित करा लिये जिसके आधार पर दिनांक 13.01.2014 को हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 604 भरा जिसे दिनांक 15.01.2014 को उप तहसीलदार पलसाना ने स्वीकृत कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 08.06.2015 के द्वारा विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित निरस्त की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि बंटवारानामा दिनांक 10.01.2014 के जरिये भूमि हाल खसरा नम्बर 2994/4933, 2997/4937, 298

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 3002, 3008/4929/1 का बंटवारा किया गया था जिसके साबिक खसरा नम्बर 1064 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा था तथा उपरोक्त भूमि के साबिक खातेदार कालूराम जी थे जो अपीलार्थी व प्रत्यथी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज थे जिनके 6 पुत्र क्रमशः पेमाराम, नारायण, महादुराम, हणमान पदमा थे जिनमें से अपीलार्थीगण नारायण का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 महादुराम के वारिस है, बंटवारानामा दिनांक 10.01.2014 में इसके निष्पादनकर्ताओं ने यह दर्ज कर रखा है कि वे बंटवारा की भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त बटंवारनामें के अनुसार उन्होने मौके पर बंटवारा कर लिया है तदानुसार ही मौके पर काबिज काश्त है जबकि उपरोक्त तथ्य गलत दर्ज है, भूमि साबिका खसरा नम्बर 1064 के एक हिस्से पर अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा उपरोक्त तथ्य छुपाते हुये बंटवारानामा दिनांक 10.01.2014 इसके निष्पादनकताओं ने आपस में दुरभि संन्धि कर निष्पादित किया था जिसके आधार पर पारित किया गया बंटवारे का आदेश व स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुलिस थाना रानोली जिला सीकर में एक एफ.आई.आर. संख्या 24/1991 पंजीबद्ध हुई थी जिसके अनुसंधान के दौरान दिनांक 26.02.1991 को एक नक्शा मौका कसीद किया गया था जिसमें भूमि साबिका खसरा नम्बर 1064 व 1065 के बीच में रास्तें को दर्शया गया है तथा भूमि साबिक खसरा नम्बर 1064 के पश्चिमी हिस्से में अपीलार्थी का कब्जा दर्शाया गया है, उपरोक्त दस्तावेज से भी यह साबित है कि मौके पर भूमि साबिका खसरा नम्बर 1064 के पश्चिमी हिस्से पर अपीलार्थी का कब्जा है तथा उक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है तथा भाई बंटवारे में भूमि साबिक खसरा नम्बर 1064 का पश्चिमी हिस्सा अपीलार्थी को प्राप्त हुआ था जिस पर वह कदीमी से काबिज काश्त है, उक्त तथ्य को छुपाते हुए बंटवारानामा दिनांक 10.01.2014 निष्पादित किया गया है एवं इसलिये इस पर पारित विभाजन आदेश दिनांक 10.01.2014 व इसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की द्वितीय अपील स्वीकार फरमाई जाकर अविधिपूर्ण बंटवारानामा दिनांक 10.01.2014 पर पारित आदेश के अनुसरण में स्वीकृत किये गये आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.01.2014 को इसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2015 को अपास्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी लादूराम ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपर जिला कलक्टर सीकर के अन्तर्गत दिनांक 15.01.2014 प्रकरण संख्या 8/2014 अपीलाधीन निर्णय जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत पारित किया गया था उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत पारित आदेश की द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नही है तथा ना ही न्यायालय श्रीमान् को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित बंटवारे के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मूल निर्णय अथवा अपील में पारित किसी निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उन्होने यह भी कथन किया है कि बंटवारानामा आपसी सहमति से हुआ है जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या अवैध शून्य घोषित नही किया गया है, ऐसी स्थिति में आपसी सहमति विभाजन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को अनुचित नही ठहराया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा परस्पर सहमति से विभाजन किया गया जिसे उप तहसीलदार पलसाना के आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा स्वीकार किया गया एवं उप तहसीलदार पलसाना द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.01.14 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.01.2014 को स्वीकार किया गया है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त बंटवारानामा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त बंटवारानामा वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त )
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।